उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-90/2015/1992/26-3-2015-10(7)/2014

लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2015

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-68/2015/1227/26-3-2015-10(7)/2014, दिनांक-29.06.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन (लघु निर्माण, मशीन और सज्जा/उपकरण और संयत्र) मद में आय-व्ययक में प्राविधान धनराशि रूपया-18.65 लाख (रूपया अट्ठारह लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, जनजाति विकास के निर्वतन पर रखी गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-29.06.2015 में त्रुटिवश अंकित लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-आयोजनागत-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-06-अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय-25-लघु निर्माण-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के स्थान पर लेखा शीर्षक "4225-अनुसूचित जातियो/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-25-लघु निर्माण-26-मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-68/2015/1227/26-3-2015-10(7)/2014, दिनांक-29.06.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश का शेष अंश यथावत रहेगा।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

संख्या-90/2015/1992(1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

4-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।

5-बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।

6-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in